पत्र संख्या–वन भूमि–63 / 2005 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

ए0 के0 रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक –

विषय :– सी0सी0एल0 के (KDH) के0डी0 हेसालौंग कोलियरी हेतु 28.95 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वरीय सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–8–79 / 1990–FC (Vol.1) दिनांक–26.10.2009 द्वारा विषयक परियोजना में दी गई स्टेज–II की स्वीकृति में लगाये गये शर्त्तों का आपके पत्रांक–3351 दिनांक–15.10.2015 द्वारा प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयगत परियोजना में सन्निहित कुल 28.95 हे0 अधिसूचित वन भूमि निम्नांकित शर्त्तों के साथ विमुक्त किया जाता है :–

(क) स्टेज–II की स्वीकृति की शर्त संख्या–2(C) के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी 6 माह के अंदर शर्त के अनुसार स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करते हुए अनुपालन आरंभ करायेगी।

(ख) स्टेज–II की स्वीकृति की शर्त संख्या–3 के संदर्भ में प्रयोक्ता एजेंसी साईट स्पेसफिक प्लॉन तैयार कर एवं वन विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर उसे 6 माह में कार्यान्वियन करना शुरू करेगी।

(ग) स्टेज–II की स्वीकृति की शर्त संख्या–10 के संबंध में स्पष्ट एवं विशिष्ट प्रतिवेदन 6 माह के अंदर प्रयोक्ता एजेंसी समर्पित करेगी।

(घ) प्रश्नगत परियोजना की परिधि में पड़ने वाली वनभूमि, जिसका अपयोजन नही किया गया है, की जाँच कर प्रतिवेदन एक माह के अंदर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसके अनुरूप देय N.P.V की राशि का भुगतान भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–599 / 2014–FC दिनांक–01.04.2015 के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण को 31.03.2016 के पूर्व करना होगा।

(ङ) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक माह के अन्दर प्रश्नगत परियोजना की Lease hold boundry cadastral map पर चिन्हित करते हुए तदनुसार Mining Plan तथा किस्मवार भूमि का Land Schedule वन विभाग को समर्पित किया जायेगा ताकि भारत सरकार के पत्र के आलोक में Lease hold में पड़ने वाली अपयोजन हेतु अवशेष वन भूमि के लिए NPV की वसूली हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके ।

साथ ही प्रश्नगत परियोजना में पड़ने वाली 1.95 हे0 सेफ्टी जोन क्षेत्र के अपयोजन की कार्रवाई भारत सरकार के पत्र दिनांक–12.07.2012 एवं दिनांक–13.05.2014 के अनुरूप कराने की कृपा की जाय, ताकि प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा सके ।

कृपया सरकार के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ए0 के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– वन भूमि–63/2005 व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–वरीय सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली– 110003./अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0 A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची– 834002 को अनुपालन प्रतिवेदन की छायाप्रति सभी अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– वन भूमि–63/2005 व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची/महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, राँची–834001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– वन भूमि–63/2005 6561 व0प0, राँची दिनांक–31/12/15

प्रतिलिपि–वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय वेबसाईट "forest jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

31/12
सरकार के विशेष सचिव

Vijay /vanvumi| 224